NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 23-03-2026

विषय सूची

सर्वोच्च न्यायालय का कारागार सुधारों पर बल

“क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य मतदान(Compulsory Voting) व्यवहार्य है?”

भारत की लेखा शिक्षा को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना

भारत में कॉर्पोरेट शासन: अनुपालन से नैतिक चेतना तक

संक्षिप्त समाचार

जेनेरिक सेमाग्लूटाइड

उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026

एंटी-डंपिंग जाँच: एथिल क्लोरोफॉर्मेट

अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव एवं वनस्पति प्रजातियों के व्यापार पर अभिसमय (CITES)

नीलगिरि ताहर

लोकपाल की जाँच एवं अभियोजन शाखा

सर्वोच्च न्यायालय का कारागार सुधारों पर बल

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कारागारों की अमानवीय परिस्थितियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कारागार की स्थिति संबंधी अद्यतन एवं व्यापक आँकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
    - संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार/वहाँ निरुद्ध व्यक्ति" राज्य सूची का विषय है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश

- न्यायालय ने राज्यों को भीड़भाड़ की समस्या से निपटने हेतु वर्तमान एवं प्रस्तावित उपायों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
- न्यायालय ने कारागारों में निरुद्ध माताओं के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
- राज्यों को स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्तियों तथा भर्ती के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय कारागारों की विद्यमान समस्याएँ

- **भीड़भाड़:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की *प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023* रिपोर्ट के अनुसार भारत के कारागार औसतन 120.8% की अधिभोग दर पर संचालित हुए।
- **अंडरट्रायल संकट:** विचाराधीन कैदियों की उच्च संख्या जाँच एवं न्यायिक प्रक्रिया में विलंब को दर्शाती है, जो न्याय के सिद्धांत को कमजोर करती है।
- **दुर्बल अधोसंरचना एवं स्वच्छता:** अनेक कारागारों में अपर्याप्त वेंटिलेशन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ऐसी परिस्थितियाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरतीं और प्रत्यर्पण अस्वीकार करने का आधार बनती हैं।
- **वर्गीकरण का अभाव:** आर्थिक अपराधियों, विदेशी नागरिकों या उच्च जोखिम वाले भगोड़ों हेतु पृथक निरोध केंद्रों की व्यवस्था नहीं है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्टों में हिरासत में हिंसा, चिकित्सा सुविधा में विलंब और सीमित कानूनी पहुँच जैसी समस्याओं को रेखांकित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भारत की स्थिति को कमजोर करती हैं।

कारागार सुधार समितियाँ

- **ए. एन. मुल्ला समिति (1980–83):** विचाराधीन कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों से पृथक रखने तथा कारागार की स्थिति, पोषण और स्वच्छता में सुधार की अनुशंसा की।
- **न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति:** कारागारों में भीड़ कम करने, शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया एवं कानूनी सहायता सुधार तथा कारागार प्रबंधन में तकनीक के उपयोग की अनुशंसा की।
- **कृष्ण अय्यर समिति:** महिलाओं के लिए पृथक कारागार सुविधाओं का समर्थन किया ताकि शोषण रोका जा सके।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
- **राजस्थान राज्य बनाम बलचंद:** सर्वोच्च न्यायालय ने "जमानत नियम है और जेल अपवाद" का सिद्धांत स्थापित किया, जिससे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिला।

कारागार सुधार हेतु उठाए गए कदम

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने कारागारों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।
- गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में *मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ एक्ट* तैयार किया।
    - इस मॉडल अधिनियम में सुधार, पुनर्वास एवं कैदियों के समाज में पुनः एकीकरण के प्रावधान हैं।
    - इसमें 'कैदियों के कल्याण कार्यक्रम' तथा 'आफ्टर-केयर एवं पुनर्वास सेवाएँ' संस्थागत देखभाल का अभिन्न अंग बनाए गए हैं।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** बेहतर अभिलेख-रखरखाव, निगरानी और पारदर्शिता हेतु डिजिटल कारागार प्रबंधन प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
    - न्यायालयीय सुनवाई में विलंब कम करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक पुन:एकीकरण:** कारागार प्रणाली को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि कैदियों की रिहाई के बाद उनकी रोजगार क्षमता बढ़े।
- **कानूनी सहायता सुदृढ़ीकरण:** विशेषकर विचाराधीन कैदियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समयबद्ध एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विधिक सहायता तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

"क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य मतदान(Compulsory Voting) व्यवहार्य है?"

संदर्भ

- हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि भारत को मतदाता भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु अनिवार्य मतदान की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए।

भारत में मतदान का अधिकार

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है।
- हालाँकि, मतदान एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है)।

अनिवार्य मतदान क्या है?

- अनिवार्य मतदान के अंतर्गत नागरिकों को चुनावों में भाग लेना अनिवार्य होता है, अन्यथा उन पर दंड लगाया जा सकता है।
- यह व्यवस्था 20 से अधिक देशों में लागू है, जैसे:
    - **ऑस्ट्रेलिया:** मतदान न करने पर जुर्माना; 1924 से मतदाता उपस्थिति लगातार 90% से अधिक।
    - **बेल्जियम:** सबसे पुरानी प्रणाली (1893); उपस्थिति प्राय: 85–90%।
    - **ब्राज़ील:** 18–70 आयु वर्ग के लिए अनिवार्य।
- **भारतीय अनुभव:** गुजरात ने 2009 में *गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) अधिनियम* के माध्यम से स्थानीय निकायों में अनिवार्य मतदान लागू करने वाला प्रथम राज्य बना; किंतु गुजरात उच्च न्यायालय ने कानूनी चिंताओं को देखते हुए इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

अनिवार्य मतदान के पक्ष में तर्क

- **मतदाता उपस्थिति में सुधार:** भारत के विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट, 2015) ने देखा कि अनिवार्य मतदान से औसतन 7% तक उपस्थिति बढ़ सकती है।
- **लोकतांत्रिक वैधता में वृद्धि:** इससे सरकारें केवल अल्पसंख्यक मतदाताओं के आधार पर निर्वाचित नहीं होंगी।
- **नागरिक कर्तव्य को बढ़ावा:** नागरिकों को मतदान को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी मानने हेतु प्रेरित करता है।
- **धनबल में कमी:** अधिक और समान रूप से उच्च मतदान से महंगे प्रचार अभियानों पर निर्भरता घटती है, जिससे चुनावों में धन का प्रभाव कम होता है।

अनिवार्य मतदान के विरुद्ध तर्क

- **मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन:** मतदान के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें मतदान न करने का अधिकार भी शामिल है) का उल्लंघन हो सकता है।
- **भारत में व्यावहारिक चुनौतियाँ:** विशाल मतदाता संख्या (~96+ करोड़), आंतरिक प्रवासन और व्यवस्थागत कठिनाइयों के कारण अनिवार्य मतदान लागू करना कठिन है।
- **यादृच्छिक/अमान्य मतदान का जोखिम:** अनिच्छुक मतदाता केवल अनुपालन हेतु मनमाने ढंग से मतदान कर सकते हैं, जिससे चुनाव परिणाम विकृत हो सकते हैं।

- **कठोर दंड अनुपयुक्त:** सेवाओं से वंचित करना (जैसे पेरू में) या जुर्माना भारतीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में अनुपयुक्त हो सकता है।

विशेषज्ञ एवं समिति विचार

- **डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** ने 1951 में *जन प्रतिनिधित्व विधेयक* पर परिचर्चा के दौरान अनिवार्य मतदान के विचार को अस्वीकार किया।
- **दिनेश गोस्वामी समिति** ने क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों का उदाहरण देते हुए अनिवार्य मतदान का विरोध किया।
- **भारत का विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट):** यह केवल कठोर दंड के साथ प्रभावी हो सकता है, अतः भारत के लिए उपयुक्त नहीं।

आगे की राह

- **जागरूकता सुदृढ़ करना:** निर्वाचन आयोग की SVEEP (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) पहल के माध्यम से मतदाता शिक्षा का विस्तार।
- **सुलभता में सुधार:** बेहतर परिवहन, अधिक मतदान केंद्र और सुविधाजनक मतदान अवकाश सुनिश्चित करना।
- **प्रवासी मतदाताओं को सक्षम बनाना:** आंतरिक प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान समाधान का विस्तार।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** सुरक्षित डिजिटल साधनों का प्रयोग कर व्यापक एवं सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **शहरी मतदान दर बढ़ाना:** कम भागीदारी वाले शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाना।

निष्कर्ष

- यद्यपि अनिवार्य मतदान से भागीदारी बढ़ सकती है, किंतु संवैधानिक, प्रशासनिक और सामाजिक-आर्थिक सीमाओं के कारण यह भारत में न तो व्यावहारिक है तथा न ही वांछनीय।
- भारत में ध्यान स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और लोकतांत्रिक जागरूकता को सुदृढ़ करने पर होना चाहिए, न कि बाध्यकारी उपायों के माध्यम से सहभागिता थोपने पर।

स्रोत: TH

भारत की लेखा शिक्षा को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना

संदर्भ

- भारत का वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ बढ़ता एकीकरण ऐसे पेशेवरों की मांग उत्पन्न कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन ढाँचों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRS) तथा यू.एस. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (U.S. GAAP) में दक्ष हों।

पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRS) एक वैश्विक रूप से स्वीकृत लेखांकन ढांचा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड(IASB) द्वारा विकसित किया गया है और जिसका अनुसरण 140 से अधिक देशों में किया जाता है।
  - यू.एस. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (US GAAP) एक नियम-आधारित ढांचा है, जिसे मुख्यतः वित्तीय लेखा मानक बोर्ड(FASB) द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जाता है तथा इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित या सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है।
  - भारत भारतीय लेखा मानक(Ind AS) का पालन करता है, जो बड़े पैमाने पर IFRS के साथ अभिसरित हैं, किंतु घरेलू नियामक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप इनमें कुछ संशोधन सम्मिलित हैं।
    - फलस्वरूप, वैश्विक मानकों के साथ पूर्ण सामंजस्य (harmonisation) अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है।

वैश्विक वित्तीय भाषा के रूप में लेखांकन

- मानकीकृत लेखांकन प्रणालियाँ वैश्विक व्यापार संचालन में तुलनीयता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती हैं।
- वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में भारत:
  - भारत में लगभग 55% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थित हैं, जो वैश्विक वित्तीय सेवाओं में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।
  - GCCs भारत के निर्यात में 64 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देते हैं, जो 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

- भारत में GCC कार्यबल 2030 तक 3.46 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे लगभग 1.3 मिलियन नए रोजगार सृजित होंगे।

भारत में वाणिज्य शिक्षा में अंतर

- भारत में वाणिज्य शिक्षा मुख्यतः सैद्धांतिक एवं परीक्षा-केंद्रित है। छात्रों को वैश्विक मानकों के अंतर्गत तैयार वास्तविक वित्तीय विवरणों का सीमित व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है।
- वाणिज्य स्नातकों की रोजगारयोग्यता दर लगभग 62.81% है, जो कौशल असंगति (skills mismatch) को इंगित करती है।
  - अपर्याप्त कौशल-संरेखण भारत की वैश्विक आउटसोर्सिंग एवं वित्तीय केंद्र के रूप में आकर्षण को कम कर सकता है।

पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता

- **शिक्षा-उद्योग अंतर का समापन :** पाठ्यक्रम को वैश्विक लेखांकन प्रथाओं को समाहित करते हुए उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **मानव पूंजी का संवर्धन:** भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि का पूर्ण उपयोग करने हेतु कौशल-आधारित शिक्षा आवश्यक है।
- **वैश्विक एकीकरण का समर्थन :** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य पेशेवरों एवं व्यवसायों की सीमा-पार गतिशीलता को सुगम बनाएगा।

आगे की राह

- भारत को एक मिश्रित (हाइब्रिड) लेखांकन शिक्षा मॉडल अपनाना चाहिए, जो घरेलू एवं वैश्विक ढाँचों का समेकन करता हो।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया(ICAI) तथा विश्वविद्यालयों जैसे नियामक निकायों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर पाठ्यक्रम अद्यतन करना चाहिए।
- परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से हटकर अनुप्रयोग-आधारित शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

भारत में कॉर्पोरेट शासन: अनुपालन से नैतिक चेतना तक

संदर्भ

- हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने "नैतिक असंगति" का उदाहरण देते हुए त्यागपत्र दिया। इस घटना ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक नैतिकता, पारदर्शिता और कॉर्पोरेट शासन पर परिचर्चा को पुनः प्रज्वलित कर दिया है।

कॉर्पोरेट शासन में नैतिकता

- कॉर्पोरेट शासन उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का संचालन और नियंत्रण नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।
- शासन में नैतिकता केवल वैधानिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निर्णय लेने में ईमानदारी, हितधारकों के प्रति जवाबदेही, प्रकटीकरण में पारदर्शिता और संचालन में निष्पक्षता भी शामिल है।
- नैतिक शासन यह सुनिश्चित करता है कि संगठन केवल कानून के दायरे में ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और हितधारकों के विश्वास के अनुरूप भी कार्य करें।

प्रमुख नैतिक आयाम

- **व्यक्तिगत नैतिकता बनाम व्यावसायिक दायित्व:** नेतृत्व पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत नैतिक विश्वासों और संगठनात्मक प्रथाओं के बीच मूल्य-संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।
  - नैतिक नेतृत्व की अपेक्षा है कि व्यक्ति व्यक्तिगत हानि उठाकर भी ईमानदारी बनाए रखें। यह अरस्तू द्वारा प्रतिपादित *गुण नैतिकता* (Virtue Ethics) को प्रतिबिंबित करता है, जो केवल नियमों के पालन से अधिक चरित्र, ईमानदारी और नैतिक साहस पर बल देती है।
- **अनुपालन से परे नैतिकता:** कानूनी अनुपालन संगठनों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आचरण का मानक है। गलत कार्य का अभाव नैतिक आचरण की उपस्थिति का प्रमाण नहीं है, क्योंकि कार्य नैतिक अपेक्षाओं से कमतर हो सकते हैं।
- **पारदर्शिता और विश्वास का संकट:** निर्णय लेने में अस्पष्टता या अचानक त्यागपत्र हितधारकों में

अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं और निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।

- नैतिक शासन के लिए समय पर, सटीक और पूर्ण जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है ताकि विश्वास बना रहे।

- **स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका:** स्वतंत्र निदेशक निष्पक्ष प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं और उनकी प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि वे बिना भय के चिंताएँ उठा सकें।
  - यह कुमार मंगलम बिड़ला समिति द्वारा रेखांकित *संस्थागत ईमानदारी* की अवधारणा से सामंजस्यशील है, जिसने भारत में शासन मानकों को सुदृढ़ करने में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका पर बल दिया।

व्यापक निहितार्थ

- **संस्थागत ईमानदारी:** नैतिक चूक, चाहे केवल अनुमानित ही क्यों न हो, संस्थानों की विश्वसनीयता को हानि पहुँचा सकती है और वित्तीय स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।
- **जन विश्वास:** वित्तीय संस्थाएँ जमाकर्ताओं और निवेशकों के विश्वास पर अत्यधिक निर्भर होती हैं।
  - नैतिक अस्पष्टता इस विश्वास को कमजोर कर सकती है और दीर्घकालिक प्रतिष्ठात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

आगे की राह

- **नैतिकता का संस्थानीकरण:** संगठनों को आचार संहिता अपनानी चाहिए, नैतिकता समितियाँ स्थापित करनी चाहिए और व्हिसलब्लोअर संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।
- **स्वतंत्र निगरानी को सशक्त बनाना:** निदेशक मंडल के सदस्यों की कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे अपनी भूमिकाएँ प्रभावी और स्वतंत्र रूप से निभा सकें।
- **नैतिक संस्कृति को सुदृढ़ करना:** संगठनों को मूल्य-आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नैतिक सिद्धांतों को समाहित करना चाहिए।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

जेनेरिक सेमाग्लूटाइड

संदर्भ

- भारत में *सेमाग्लूटाइड* के जेनेरिक संस्करणों के आगमन ने कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है, जिससे टाइप-2 मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त रोगियों के लिए वहनीयता में सुधार हुआ है।

सेमाग्लूटाइड के बारे में

- *सेमाग्लूटाइड* एक GLP-1 (ग्लूकागॉन-जैसा पेप्टाइड-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसका उपयोग किया जाता है:
  - मधुमेह में ग्लाइसीमिक नियंत्रण हेतु।
  - मोटापे से ग्रस्त रोगियों में वजन प्रबंधन हेतु।
- यह इंसुलिन स्राव को बढ़ाकर, भूख को कम करके और गैस्ट्रिक खाली होने की गति को धीमा करके कार्य करता है।
- इसे प्रायः *वजन घटाने की क्रांतिकारी दवा* कहा जाता है, जिसके कारण नैदानिक संकेतों से परे भी इसकी माँग बढ़ रही है।

जेनेरिक दवाएँ क्या हैं?

- जेनेरिक दवा वह औषधि है जो पहले से विपणन की गई ब्रांड-नाम दवा के समान होती है—खुराक रूप, सुरक्षा, शक्ति, प्रशासन मार्ग, गुणवत्ता और प्रदर्शन विशेषताओं में।
- इसमें वही सक्रिय घटक होता है जो ब्रांड-नाम संस्करण में होता है और यह शरीर में उसी प्रकार कार्य करता है ताकि समान नैदानिक लाभ प्रदान कर सके।

स्रोत: TH

उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026

संदर्भ

- हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) ने 'उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026: भारत में निवारण आयोगों की क्षमता का आकलन' जारी किया।

रिपोर्ट के बारे में

- यह *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019* के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की क्षमता का प्रथम राष्ट्रीय मूल्यांकन है।

- इसमें राज्यों का मूल्यांकन बजट, अधोसंरचना, मानव संसाधन, कार्यभार और लैंगिक विविधता जैसे संकेतकों के आधार पर किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य:** आंध्र प्रदेश (प्रथम), इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल।
  - यह उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की संस्थागत क्षमता, दक्षता और निपटान दर को दर्शाता है।

Large and mid-sized states

State	Consumer Justice Rank
Andhra Pradesh	1
Madhya Pradesh	2
Rajasthan	3
Karnataka	4
West Bengal	5
Haryana	6
Tamil Nadu	7
Assam	8
Uttarakhand	9
Uttar Pradesh	10

Small states

State	Consumer Justice Rank
Meghalaya	1
Sikkim	2
Himachal Pradesh	3
Goa	4
Nagaland	5
Mizoram	6
Tripura	7
Arunachal Pradesh	8
Manipur	9

- उच्च रिक्तियाँ:
  - **राज्य आयोग (SCDRCs):** लगभग 50% अध्यक्ष पद रिक्त; लगभग 40% सदस्य पद रिक्त।
  - **जिला आयोग (DCDRCs):** लगभग 32% अध्यक्ष पद रिक्त; लगभग 39% सदस्य पद रिक्त।
- **मामलों की भारी लंबितता:** लगभग 35% मामले 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं (5 माह में निपटान के प्रावधान का उल्लंघन)।
- **लैंगिक प्रतिनिधित्व की कमी:** केवल 2 राज्यों (दिल्ली और सिक्किम) में महिला अध्यक्ष; और विगत 5 वर्षों में केवल 3 SCDRCs में महिला अध्यक्ष रही।
- **क्षेत्रवार शिकायतें:**
  - बीमा (25.1%),
  - आवास (18.7%),
  - बैंकिंग (8.7%) — राज्य आयोग स्तर पर।
  - राष्ट्रीय आयोग स्तर पर आवास संबंधी शिकायतें प्रमुख (44%)।

भारत में उपभोक्ता निवारण

- यह *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019* (1986 अधिनियम का स्थान लिया) द्वारा शासित है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और सरल, त्वरित एवं सस्ती निवारण व्यवस्था प्रदान करना है।
- तीन-स्तरीय प्रणाली:
  - जिला आयोग (DCDRC): ₹1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा; प्रथम स्तर की शिकायतें।
  - राज्य आयोग (SCDRC): अपील एवं उच्च-मूल्य के मामले।
  - राष्ट्रीय आयोग (NCDRC): सर्वोच्च निकाय (नई दिल्ली)।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):** अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करता है; उत्पाद वापस ले सकता है, दंड लगा सकता है और भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- **ई-फाइलिंग प्रणाली:** *ई-दाखिल* पोर्टल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, शुल्क भुगतान और मामले की ट्रैकिंग की सुविधा देता है।
- **मध्यस्थता तंत्र:** आयोगों से संबद्ध *कंज़्यूमर मेडिएशन सेल्स*; न्यायालय से बाहर समझौते को बढ़ावा।
- **ई-कॉमर्स को शामिल करना:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि) को शामिल करता है; पारदर्शिता, रिफंड और शिकायत अधिकारी के नियम।

स्रोत: TH

एंटी-डंपिंग जाँच: एथिल क्लोरोफॉर्मेट

संदर्भ

- हाल ही में भारत ने चीन से आयातित *एथिल क्लोरोफॉर्मेट* पर एंटी-डंपिंग जाँच शुरू की है, क्योंकि अनुचित मूल्य निर्धारण से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचने का आरोप लगाया गया है।

डंपिंग एवं एंटी-डंपिंग के बारे में

- **डंपिंग:** वस्तुओं का निर्यात उस मूल्य से कम पर करना जो सामान्य मूल्य (घरेलू मूल्य या उत्पादन लागत) हो।
- **एंटी-डंपिंग शुल्क:** अनुचित व्यापार प्रथाओं का सामना करने हेतु लगाया गया संरक्षणवादी शुल्क।
- यह भारत में *WTO के एंटी-डंपिंग समझौते* और *कस्टम्स टैरिफ अधिनियम, 1975* द्वारा शासित है।

- WTO डंपिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन यदि इससे वास्तविक क्षति होती है तो देशों को कार्रवाई की अनुमति देता है।

अतिरिक्त जानकारी

- *डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ (DGTR)* वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
    - यह भारत में WTO-अनुपालन व्यापार उपायों को लागू करने हेतु 'नामित प्राधिकरण' है।
    - यह जाँच करता है कि डंपिंग हो रही है या नहीं, और घरेलू उद्योग को कितनी क्षति हुई है।
    - यदि प्रमाणित होता है, तो सरकार को एंटी-डंपिंग शुल्क की अनुशंसा करता है।
- **एथिल क्लोरोफॉर्मेट:** एक कार्बनिक मध्यवर्ती; औषधि निर्माण और कृषि-रसायनों में प्रयुक्त।

स्रोत: TH

अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव एवं वनस्पति प्रजातियों के व्यापार पर अभिसमय (CITES)

संदर्भ

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें CITES मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

CITES के बारे में

- यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में न डाले।
- यह व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि परमिट एवं वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित करता है।
    - **हस्ताक्षरित:** 1973 (वॉशिंगटन कन्वेंशन)
    - **प्रवर्तन में आया:** 1975
    - **प्रशासन:** UNEP (सचिवालय – जेनेवा)
    - **सदस्य:** 180+ देश; भारत सदस्य है
    - **प्रकृति:** देशों पर बाध्यकारी, परंतु क्रियान्वयन राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से
- संस्थागत संरचना:
    - *कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़(CoP):* सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था (प्रत्येक 2–3 वर्ष में बैठक)
    - *सचिवालय:* जेनेवा
- **कार्यप्रणाली:** परमिट एवं प्रमाणपत्र प्रणाली द्वारा व्यापार का नियमन
- प्रत्येक देश में वैज्ञानिक एवं प्रबंधन प्राधिकरण

तीन परिशिष्ट:

- ***परिशिष्ट I:*** विलुप्ति के कगार पर प्रजातियाँ; व्यापार केवल अपवादस्वरूप
    - उदाहरण: बाघ, हाथी (कुछ जनसंख्या), गैंडा
- ***परिशिष्ट II:*** तत्काल विलुप्ति का खतरा नहीं, परंतु नियंत्रित व्यापार आवश्यक
    - उदाहरण: कई लकड़ी की प्रजातियाँ, समुद्री प्रजातियाँ (जैसे शार्क)
- ***परिशिष्ट III:*** कम से कम एक देश में संरक्षित प्रजातियाँ; अन्य देश व्यापार नियंत्रित करने में सहयोग करते हैं

भारत एवं CITES

- भारत 1976 से हस्ताक्षरकर्ता
- ***क्रियान्वयन:*** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- ***मुख्य प्राधिकरण:*** MoEFCC (प्रबंधन प्राधिकरण), वन्यजीव संस्थान भारत (वैज्ञानिक प्राधिकरण)

नीलगिरि ताहर

संदर्भ

- केरल के इडुक्की जिले में मुनार के पास चोक्करामुड़ी पहाड़ियाँ अब नीलगिरि ताहर के लिए एक समृद्ध प्राकृतिक आवास में परिवर्तित हो गई हैं।

नीलगिरि ताहर के बारे में

- ***विवरण:*** एक ठोस पर्वतीय बकरी (*नीलगिरिट्रैगस हाइलोक्रियस*) पीले-भूरे रंग के छोटे फर के साथ; तमिलनाडु का राज्य पशु।
- ***आवास एवं वितरण:*** पश्चिमी घाट के 400 किमी क्षेत्र में स्थानिक; मुख्यतः केरल एवं तमिलनाडु।

- ***आहार:*** शाकाहारी; 120 से अधिक घास, जड़ी-बूटियों एवं झाड़ियों पर निर्भर।
- ***खतरे:*** आवास हानि (वनों की कटाई, बागान, जलविद्युत परियोजनाएँ), घरेलू पशुओं से प्रतिस्पर्धा, शिकार।
- ***संरक्षण स्थिति:*** IUCN रेड लिस्ट में *संकटग्रस्त*; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I में संरक्षित।

क्या आप जानते हैं?

- नीलगिरि ताहर तमिलनाडु का राज्य पशु है।
- *एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान* में इस प्रजाति की सबसे बड़ी जीवित जनसंख्या एवं सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है।

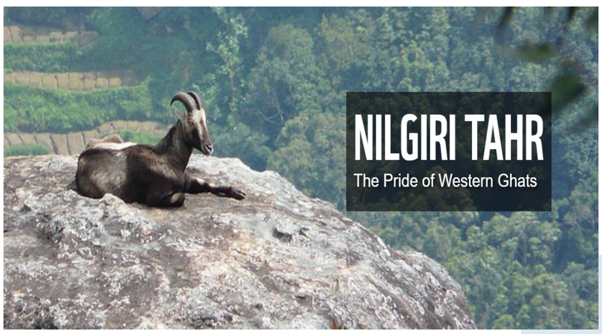

लोकपाल की जाँच एवं अभियोजन शाखा

समाचार में

- संसदीय स्थायी समिति ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में प्रावधानित जाँच एवं अभियोजन शाखाओं के क्रियान्वयन पर विवरण माँगा है, यह दर्शाते हुए कि अधिनियम लागू होने के एक दशक बाद भी इसमें विलंब है।

लोकपाल के बारे में

- ***स्थिति एवं अधिकार क्षेत्र:*** वैधानिक भ्रष्टाचार-निरोधक संस्था (लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013); 2019 से कार्यशील। सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों की जाँच हेतु अधिदेश।
- ***संरचना:*** अध्यक्ष (पूर्व CJI, पूर्व SC न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति) एवं आठ सदस्य (चार न्यायिक)। कम से कम 50% सदस्य SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला से।
- ***नियुक्ति एवं कार्यकाल:*** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
- ***अधिकार क्षेत्र:*** वर्तमान/पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्रीय सरकारी अधिकारी (ग्रुप A–D), तथा वे संस्थाएँ जिनको केंद्र/राज्य से वित्तीय सहायता या ₹10 लाख से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त होता है।
- ***शक्तियाँ:*** CBI पर पर्यवेक्षण एवं दिशा देने का अधिकार; केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें CVC को भेज सकता है।
- ***प्रधानमंत्री अपवाद:*** प्रधानमंत्री के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा या अंतरिक्ष से संबंधित आरोपों की जाँच नहीं। प्रधानमंत्री पर जाँच प्रारंभ करने हेतु पूर्ण लोकपाल पीठ द्वारा विचार एवं कम से कम 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक।

पूछताछ विंग	अभियोजन शाखा
अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान है कि भ्रष्टाचार-संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जाँच हेतु एक *जाँच प्रकोष्ठ* का गठन किया जाए, जिसका नेतृत्व *जाँच निदेशक* द्वारा किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने यह उल्लेख किया है कि जाँच निदेशक की नियुक्ति तथा जाँच प्रकोष्ठ में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है।	अधिनियम की धारा 12 लोकपाल को यह बाध्य करती है कि वह *अभियोजन प्रकोष्ठ* का गठन करे, जिसका नेतृत्व *अभियोजन निदेशक* द्वारा किया जाएगा, ताकि लोकपाल द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत के संबंध में लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जा सके। अभियोजन प्रकोष्ठ का औपचारिक गठन जून 2025 में किया गया। वर्तमान में, अभियोजन संबंधी कार्य मुख्यतः *केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)* द्वारा संपादित किए जा रहे हैं।

स्रोत: TH

■■■■